संख्या- 152 /2022/ 1487 /चार-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2022**

विषय:-आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान में पी0एम0यू0 गठित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 1134/सं0नि0-15(19)/2022-23 दिनांक 25 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान में पी0एम0यू0 गठित करने व अन्य के संबंध में रू0 29.90 लाख (रू0 उनतिस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त स्वीकृति प्रथमतया 06 माह के लिए प्रदान की जा रही है। 06 माह के पश्चात् कार्यों की समीक्षा के उपरान्त दिनांक 15 अगस्त, 2023 तक के आयोजन हेतु इसे विस्तारित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

4. पी0एम0यू0 के गठन हेतु पदों पर चयन साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा तथा पदों हेतु आयु सीमा की गणना विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से की जायेगी।

5. प्रारंभिक / अनुमानित मानदेय पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। जिन व्यक्तियों को लिया जाये, वे योग्य, अनुभवी, संस्कृति के प्रति रूचि पूर्व से ख्यातियुक्त हों।

6. निगोसिएशन के आधार पर मानदेय पर अवश्य मितव्ययिता का ध्यान रखा जाये।

7. उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

8. वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या 152 /2022/ 1487 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।